फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भवरी **विपक्षी : ग्राम पंचायत डबोक**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 02/22**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 03.05.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प डबोक में पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहे हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा जवाब पेश कर अपील स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। शा.फा. रहे। अधिवक्ता अपीलान्ट व राजपेरोकार की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 423 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता कन्ना के विरासत का नामान्तरकरण पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भवरी, रोडी पिता कन्ना के बजाय पेमा अंकित कर दिया हैं। पत्रावली के अवलोकन से जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत डबोक द्वारा दिनांक 11.10.2000 को पारित किया गया हैं। अपीलान्ट्स द्वारा पिता का नाम पेमा गलत होना बताकर ग्राम पंचायत द्वारा गलत नामान्तरकरण को निरस्त करा अपने नाम दर्ज भूमि में पिता का नाम पेमा के बजाय कन्ना किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में उक्त नामान्तरकरण ग्राम पचांयत द्वारा पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट् सं. 2 के पिता के विरासत के आधार पर पिता का सही नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत डबोक द्वारा नामान्तरकरण संख्या 423 पारित किया है वह त्रुटि पूर्ण हैं जिससे अपीलान्ट को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट्स न्यायहित में आंशिक स्वीकार की जाती है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत डबोक द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 423 दिनांक 11.10.2000 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में कन्ना पिता देवा डांगी निवासी ओरडी ए तह. मावली के विधिक वारिसों की जांच करते हुए साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:58:22 IST
Reason: SelfAttested